भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 21
उत्तर देने की तारीख 21.07.2025

आंध्र प्रदेश में अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता

21. डॉ. सी. एम. रमेश :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2023-24 तक, वृद्ध हो चुके कलाकारों को पेंशन/वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश से कुल 962 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार और जिलावार प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश आवेदनों को सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार का इन कलाकारों के प्रति थोड़ी नरमी बरतने का विचार है क्योंकि उन्होंने हमारी संस्कृति, कला और परंपराओं को जीवंत रखने में योगदान दिया है; और

(च) वर्ष 2024-25 और चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): विगत पाँच वर्षों, अर्थात् 2019-20 से 2023-24 तक, 'वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार किए जाने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या नीचे दी गई है। इस मंत्रालय द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के जिलावार आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

क्र. सं.	वर्ष	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	अस्वीकृत प्रस्ताव
1.	2019-20	177	35	142
2.	2020-21	52	34	18
3.	2021-22	233	91	142
4.	2022-23	218	33	185
5.	2023-24	291	38	253

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग या इस मंत्रालय के अधीन संबंधित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) की अनुशंसा प्रस्तुत न करने, अपेक्षित दस्तावेजों और कला संबंधी परिचय पत्रों के अभाव के कारण अपूर्ण पाए गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाता है।

(ड.): हमारी कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में कलाकारों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानते हुए, और चयनित कलाकारों के समक्ष आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए, हाल के वर्षों में मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) जून, 2022 से इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की राशि को 4000/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 6000/- रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है;

(ii) अब प्रत्येक वर्ष आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब इसे पांच वर्षों में एक बार प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

(iii) पूर्व में, इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक कलाकार के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कम से कम 500/- रुपये प्रति माह की कलाकार पेंशन प्राप्त करना अनिवार्य था। इस शर्त में छूट दे दी गई है और यदि आवेदक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से कलाकार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है तो उस मामले में भी अब संबंधित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी), संस्कृति मंत्रालय द्वारा उसके कलात्मक पूर्ववृत्त का सत्यापन और अनुशंसा करने का प्रावधान है।

(iv) चयनित कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता का सुचारू रूप से और समयबद्ध संवितरण सुनिश्चित करने हेतु, दिनांक 28.06.2023 को कैनरा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप वार्षिक संवितरण की धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2000 कलाकारों के लिए 8.71 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 4636 कलाकारों के लिए 26.09 करोड़ रुपए हो गई है।

(च): वर्ष 2024-25 के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (15-07-2025 तक) में कुल 3182 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

*****